मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 1698 /स्था/2021 भोपाल, दिनांक 24/12/2021

// कार्यालय आदेश //

मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में दिनांक 22 जनवरी 2021 को जारी संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड की 158 वीं बैठक 22 दिसम्बर 2021 में लिये गये निर्णय अनुसार बोर्ड के आदेश दिनांक 22/8/2017 के अनुक्रम में मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 की अनुसूची एक एवं अनुसूची दो में उल्लेखित निम्न 15 प्रकार की चार हेक्टेयर तक क्षेत्रवाली खदानों के सम्मति प्रकरणों के निराकरण की शक्तियाँ क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजित की जाती है :-

अनुसूची-दो (नियम 6 तथा 7) अन्य खनिज-

1. साधारण रेत, बजरी
2. ईंट, बर्तन कवेलू आदि बनाने के लिए साधारण मिट्टी
3. मुरम
4. ग्रेवल
5. लाईम शैल भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले चूने के विनिर्माण के लिए भट्टी में जलाकर उपयोग के लिए
6. रेह मिट्टी
7. साल्ट पीटर (Salt Petre)

अनुसूची-एक (नियम 6) विनिर्दिष्ट खनिज-

1. आकारीय पत्थर, ग्रेनाइट, डोलेराइट और अन्य आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टाने जिनका उपयोग काट कर और तरश कर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है।
2. संगमरमर जिसका उपयोग काटकर और तराशकर विशिष्ट आकार के ब्लाक्स, स्लेब्स, टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है।
3. अन्य प्रयोजज के लिए संगमरमर पत्थर
4. भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग में लाए जानेवाले चूने के विनिर्माण के लिए भट्टी में जलाकर उपयोग में लिया जाने वाला चूना पत्थर
5. फ्लेग स्टोन-प्राकृतिक परतदार पत्थर जिसका उपयोग फर्श छत, आदि के लिए तथा काटने और तराशने के उद्योग में किया जाता है।
6. यांत्रिक क्रिया से गिट्टी बनाने के लिये पत्थर (अर्थात क्रशर के उपयोग हेतु)
7. बेन्टोनाइट/फुलर्स अर्थ
8. पत्थर से निर्मित रेत (यांत्रिक क्रिया द्वारा)

Achyut Mishra

(ए0ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव

(142)

पृ0 कमांक 1699 /स्था/2021 भोपाल, दिनांक 24/12/2021

प्रतिलिपिः–

1 स्टॉफ ऑफीसर, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ

2 प्रबंध संचालक, म.प्र. खनिज विकास निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

3 समस्त यूनिट हेड, मुख्यालय, समस्त आंचलिक अधिकारी, समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

4 समस्त जिला खनिज अधिकारी, मध्य प्रदेश ।

5 नोटिस बोर्ड/गार्ड फाईल/आईटी शाखा/कार्यालय आदेश

(ए0ए0 मिश्रा)
सदस्य सचिव,